

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद,महेन्द्रगढ, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में क्लस्टर फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन ज्वार पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30-07-2022) तक कर सकते हैं।

क्लस्टर फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन ज्वार पर रू0 2400/ एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial targets of Cluster Front line Demonstration on Jowar for the year 2022-23 (Assistance @ Rs. 2400/- per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		General		SC	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	500	12.00	400	9.60	100	2.40
2	Gurugram	550	13.20	440	10.56	110	2.64
3	Hisar	600	14.40	480	11.52	120	2.88
4	Jhajjar	300	7.20	240	5.76	60	1.44
5	Jind	300	7.20	240	5.76	60	1.44
6	M.Garh	400	9.60	320	7.68	80	1.92
7	Rewari	550	13.20	440	10.56	110	2.64
8	Mewat	1250	30.00	1000	24.00	250	6.00
9	Rohtak	1500	36.00	1200	28.80	300	7.20
10	C.Dadri	300	7.20	240	5.76	60	1.44
Total		6250	150.00	5000	120.00	1250	30.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में ज्वार का बीज वितरण में संकर ज्वार बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30-07-2022) तक कर सकते हैं।

ज्वार का बीज वितरण में संकर ज्वार बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर रू0 10000 / क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति /30 प्रतिशत महिला किसान /33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target distribution of Hybrid Seed of Jowar nutritive variety for the year 2022-23 (Assistance @ Rs. 10000/-Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	10	1.00	8	0.80	2	0.20
2	C.Dadri	10	1.00	8	0.80	2	0.20
3	Gurgaon	40	4.00	32	3.20	8	0.80
4	Hisar	50	5.00	40	4.00	10	1.00
5	Jhajjar	10	1.00	8	0.80	2	0.20
6	Jind	10	1.00	8	0.80	2	0.20
7	M.Garh	10	1.00	8	0.80	2	0.20
8	Rewari	30	3.00	24	2.40	6	0.60
9	Mewat	60	6.00	48	4.80	12	1.20
10	Rohtak	70	7.00	56	5.60	14	1.40
Total		300	30.00	240	24.00	60	6.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति /30 प्रतिशत महिला किसान /33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी /सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी /खण्ड कृषि अधिकारी /उपमण्डल कृषि अधिकारी /उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा